भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5639
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति के बारे में जागरूकता

5639. **श्री नवसकनी के:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन और उद्यमिता सहायता प्रदान करने में प्रभावी भूमिका निभाई है;
(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित देश में उक्त योजना के अंतर्गत स्वरोजगार सहायता से लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है;
(ग) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता/ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कुछ क्षेत्रों में मिशन शक्ति के बारे में जागरूकता कम है और यदि हां, तो विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच/सहभागिता में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों के साथ भागीदारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.04.2022 से पूरे देश में 'मिशन शक्ति' नामक व्यापक (अम्ब्रेला) योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को व्यापक बनाना है। 'मिशन शक्ति' की दो

उप-योजनाएं हैं: 'संबल' महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए और 'सामर्थ्य' महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए।

'संबल' उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसे घटक शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) –** यह जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)** - महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकॉम सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ इसका एकीकरण प्रगति पर है।

ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** - बीबीबीपी एक मनोवृत्ति परिवर्तन कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायता करता है।

घ. **नारी अदालत**- एक प्रायोगिक मंच है जो महिलाओं को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसका प्रायोगिक प्रोजेक्ट असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है।

'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। इस उप-योजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं ।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹5,000/- की

नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर भी पीएमएमवीवाई के तहत ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। शक्ति सदन के निवासियों को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकता पूरी की जाती हैं। ऐसे सदनों के निवासियों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाते खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ इत्यादि भी प्रदान किए जाते हैं।

ग. **सखी निवास**- सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद है, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। कामकाजी महिलाओं और रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

घ. **पालना**- पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम बिंदु तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे का उपयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प:** हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतराल को खत्म करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में भी कार्य करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सामर्थ्य के तहत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण एचईडब्ल्यू के तहत के लिए 100-दिवसीय विशेष अभियान एक समुचित दृष्टिकोण के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यों को वृक्षारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सार्वजनिक वार्तालाप, लामबंदी अभियान और लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं जैसी सप्ताह-वार विषयगत गतिविधियाँ करने में मार्गदर्शन दिया गया था।

इन प्रथाओं को अपनाकर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को सुदृढ़ करने में योगदान दे सकते हैं तथा वीमेन लेड डेवलपमेंट और विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (30.03.2025 तक) के लिए सामर्थ्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश और तमिलनाडु राज्य में सहायता प्राप्त/लाभान्वित महिलाओं की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"मिशन शक्ति के बारे में जागरूकता" के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5639 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (30.03.2025 तक) के लिए 'सामर्थ्य' की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश और तमिलनाडु राज्य में सहायता प्राप्त/लाभान्वित महिलाओं की संख्या

पीएमएमवीवाई के तहत

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1.	भारत	7288250	2467844	7983932
2.	तमिलनाडु	135752	286823	537054

सखी निवास के तहत

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1.	भारत	47344	47344	47344
2.	तमिलनाडु	3598	4084	4471

शक्ति सदन के तहत

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**		
		2022-	**2023-**	**2024-25**

		23	24	
1.	भारत	32113	24753	27676
2.	तमिलनाडु	1129	1281	1800

पालना के तहत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	भारत	56,666	55,393	52,671
2.	तमिलनाडु	6,375	5,102	3,526

एचईडब्ल्यू के तहत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	भारत	191396	898267	1466580
2.	तमिलनाडु	0	81257	252382

*****